

म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
भोपाल में फोटोकॉपी एवं स्पाइरल बाइंडिंग
कार्य हेतु निविदा प्रपत्र
(द्वितीय आमंत्रण)

No. MPRDC/Procu./फोटोकॉपी/136/2012/11909

दिनांक: 05/01/2012



जनवरी – 2012

मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

16- A, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462 011

☎ 0755-2765196/2765205/2765213/2765216 (EPBX)

फैक्स:- 0755-2572643 / 2765192

Website: www.mprdc.nic.in



Connecting people through quality infrastructure

Contents

म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल में
फोटोकॉपी एवं स्पाइरल बाइंडिंग कार्य हेतु निविदा प्रपत्र
(द्वितीय आमंत्रण)

No. MPRDC/Procu./फोटोकॉपी/136/2012/11909

दिनांक: 05/01/2012

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	निविदा सूचना	03
2	नियम व शर्तें	04-06
3	शेड्यूल	07
4	सहमति पत्र	08
5	अनुबंध पत्र का प्रारूप	09-10

प्रति,

मेसर्स

.....

.....

जमा प्राप्ति रसीद क्र. दिनांक/01/2012 रु.2000/-

हस्ताक्षर



निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय 16-A, अरेरा हिल्स, भोपाल में फोटोकॉपी एवं स्पाइरल बाइंडिंग का कार्य करने हेतु इच्छुक एजेंसियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

टीप-

1. कार्य का विवरण व निविदा से संबंधित समस्त जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र राशि रु.2000/- का डिमांड ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल के पक्ष में प्रस्तुत करने पर कार्यालयीन समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है।
2. कार्य की अनुमानित लागत रुपये 7 लाख प्रतिवर्ष है।
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23/01/2012, 5.30 बजे तक।
4. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24/01/2012, 3.00 बजे तक।
5. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि 24/01/2012, 3.30 बजे।
6. उपरोक्त कार्य हेतु निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रु. 14,000/- {केवल चौदह हजार} का डिमांड ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ देना अनिवार्य है।
7. निविदा की वैधता खोले जाने के दिनांक से 120 दिनों की होगी।
8. कार्य का विवरण व निविदा से संबंधित जानकारी वेबसाईट www.mprdc.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

प्रबंध संचालक



नियम व शर्तें

म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय 16-A, अरेरा हिल्स, भोपाल में फोटोकॉपी एवं स्पाइरल बाइंडिंग कार्य हेतु मोहरबंद निविदा दिनांक 24/01/2012, 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाकर उसी दिवस को 3.30 बजे खोली जावेगी। इस दिन शासकीय अवकाश होने पर यही कार्यवाही अगले कार्य दिवस में संपन्न की जावेगी। इच्छुक एजेंसी निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 23/01/2012, 5.30 बजे तक राशि रु.2000/- का डिमांड ड्रॉफ्ट प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., भोपाल के पक्ष में प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	साईज	अनुमानित प्रतियां
1	E-0 साईज	200
2	E-1 साईज	250
3	E-2 साईज	500
4	E-3 साईज	1 लाख
5	E-4 साईज	10 लाख
6	फुल स्केप (Legal)	40 हजार
7	E-4 से E-3 में इनलार्जमेंट	1000
8	E-3 साईज का रिडक्शन E-4 में	1500
9	स्पाइरल बाइंडिंग, E-4 साईज/फुल स्केप (Legal)	6000
10	स्पाइरल बाइंडिंग, E-3 साईज	500

1. स्वीकृत निविदा की कार्य अवधि कायदेश की तिथि से **दो वर्षों** के लिये होगी।
2. **निविदा हेतु पात्रता**
पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष इसी प्रकार का लगभग रुपये 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का एक कार्य करने का अनुभव।
3. निविदा स्वीकृति की सूचना प्रसारित करने के दिनांक से 7 दिवस के अंदर रुपये 100/- [एक सौ रुपये] के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जाकर अमानत राशि राजसात की जावेगी।
4. कार्यालय द्वारा समय-समय पर फोटोकॉपी का जो कार्य सौंपा जावेगा उसे दिये गये निर्देशों के अनुसार समय सीमा के अंदर पूर्ण करना होगा।
5. फोटोकॉपी के सेट बनाने का कार्य संबंधित फर्म को करना होगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
6. फोटोकॉपी कार्य के लिये आवश्यक डिजिटल फोटोकॉपी मशीन [ब्राण्ड न्यू], पेपर [जे.के. कॉपियर (RED) 75 जी.एस.एम. या कॉपी पावर BILT 75 जी.एस.एम.], टोनर, डेवलपर एवं स्टेबलाइजर आदि की व्यवस्था संबंधित फर्म को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

7. फोटोकॉपी कार्य पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
8. कार्यालय में स्थापित की जाने वाली डिजीटल फोटोकॉपी मशीन एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
9. फोटोकॉपी कार्य के लिये उपयोग किये जाने वाला पेपर {जे.के. कॉपियर (RED) 75 जी.एस.एम. या कॉपी पावर **BILT** 75 जी.एस.एम.} तथा फोटोकॉपी की गुणवत्ता शेड्यूल के अनुसार आवश्यक है। ऐसा न होने की दशा में 10 प्रतिशत तक की राशि पेनल्टी के रूप में देय बिल से काट ली जाएगी।
10. संबंधित फर्म द्वारा जिस ऑपरेटर की सेवायें फोटोकॉपी कार्य के संपादन करने हेतु उपलब्ध कराई जावेगी उसे फोटोकॉपी करने का पर्याप्त अनुभव के साथ ही फोटोकॉपी मशीन की छोटी-मोटी मरम्मत का कार्य भी आना आवश्यक होगा।
11. कार्यालय में स्थापित फोटोकॉपी मशीन में ए-3 आकार तक फोटोकॉपी का कार्य तथा इनलार्जमेंट/रिडक्शन की सुविधा होनी चाहिये।
12. कार्यालय में स्थापित फोटोकॉपी मशीन से किसी भी परिस्थिति में कार्यालय के अतिरिक्त अन्य बाहरी व्यक्तियों अथवा विभाग का कार्य करने की अनुमति निविदाकार को नहीं होगी।
13. फोटोकॉपी मशीन स्थापित करने हेतु स्थान एवं विद्युत की व्यवस्था कार्यालय द्वारा कराई जावेगी जिसका कोई भुगतान नहीं लिया जावेगा।
14. फोटोकॉपी मशीन की खराबी की स्थिति में संबंधित फर्म को खराब मशीन तत्काल दुरस्त करवाना होगा तथा कार्य में व्यवधान न हो इसे सुनिश्चित करना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के अंदर दूसरी अच्छी मशीन की व्यवस्था करना होगी।
15. कार्यालय द्वारा जो फोटोकॉपी कार्य सौंपा जायेगा वह कार्यालय परिसर में ही करना होगा और जो शासकीय अभिलेख फोटोकॉपी हेतु दिये जायेंगे उसकी गोपनीयता बनाये रखने का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। इसका उल्लंघन करने पर पेनल्टी लगाने एवं अनुबंध समाप्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। यथा शासकीय गोपनीयता भंग करने के कारण दंडित करने हेतु दंडिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
16. आवश्यकता पड़ने पर शासकीय अवकाश के दिनों में तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त भी कार्य करने हेतु आवश्यक व्यवस्था संबंधित फर्म को करनी होगी जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. संबंधित फर्म द्वारा कार्यालय में उसके द्वारा नियुक्त किये गये ऑपरेटर को फोटोकॉपी कार्य हेतु प्राप्त समस्त आदेश पत्रों की प्रतियां संधारित कर रखनी होगी तथा उसकी प्रविष्टि एक पंजी पर रखनी होगी। आदेश पत्रों एवं पंजी में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही संबंधित फर्म को अपना देयक प्रस्तुत करना होगा। देयक प्रतिमाह समय पर प्रस्तुत करने एवं सही पाये जाने पर भुगतान किया जावेगा।
18. फर्म द्वारा बिद्री कर, व्यवसायिक करदाता होने का प्रमाण-पत्र आवश्यकता पड़ने पर संलग्न करना होगा।
19. सक्षम अधिकारी के द्वारा एक या सभी प्राप्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इसके लिए किसी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कांफोरिशन द्वारा नहीं किया जाएगा।
20. निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
21. देयकों में शासकीय नियमानुसार कर की कटौती की जावेगी।

22. निविदाकार को संलग्न शेड्यूल में उल्लेखित सभी दस आयटमों के लिये दरें प्रस्तुत करना होगा तथा अनुमानित कार्य की मात्रा से निविदा का मूल्यांकन किया जावेगा। दरें शब्दों एवं अंकों में दी जाना है तथा कांट-छांट पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा संबंधित निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
23. समस्त आयटम की मात्रा अनुमानित है इसमें परिवर्तन हो सकता है जिसे निविदा दर पर किया जाना होगा।
24. फर्म को न्यूनतम 60 सीपीएम वाली हैवी ड्यूटी वाली डिजीटल फोटोकॉपी मशीन जिसकी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो सके, पर ऑपरेटर की सेवारतें प्रातः 10.00 बजे से 6.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में उपलब्ध करानी होगी। कंडिका 16 इसमें अपवाद रहेगी।
25. फोटो कापी कार्य के लिए उपयोग में लायी जाने वाले इण्डेन्ड बुक की व्यवस्था निगम कार्यालय द्वारा की जावेगी।
26. उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने की इच्छुक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रु. 14,000/- [केवल चौदह हजार] का डिमान्ड ड्राफ्ट प्रबंध संचालक, म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ देना अनिवार्य है।
27. अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकार द्वारा ही संपन्न किया जावेगा, उसे यह कार्य Sublet अथवा किसी अन्य को Assign करने का अधिकार नहीं होगा।
28. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त फोटोकॉपी मशीन (मशीन ऑपरेटर के साथ) की सुविधा कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
29. **टर्मिनेशन**
निविदा नियम एवं शर्त की प्रत्येक कंडिका में उल्लेखित प्रक्रिया का शब्दशः पालन करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा एवं उसका उल्लंघन करने पर उक्त कार्यवाही (Breach of Contract) निविदा शर्तों का उल्लंघन करना मानते हुए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल को होगा। इस परिस्थिति में निविदाकार की उपलब्ध सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी।
30. विवाद की स्थिति :-
 1. किसी भी विवाद की स्थिति में म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध संचालक द्वारा नियुक्त आरबिट्रेटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।
 2. उक्त निविदा के तहत अनुबंध चूंकि भोपाल में होगा, अतः किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र भोपाल सीमित होगा।
31. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी नियम व शर्तें मान्य हैं तथा उस पर बंधनकारी है।

उप महाप्रबंधक (Procurement)

शेड्यूल

क्र.	साईज	अनुमानित प्रतियां	दर प्रति कॉपी रूपये में		कुल राशि रूपये
			अंको में	शब्दों में	
1	ए-0 साईजे	200			
2	ए-1 साईज	250			
3	ए-2 साईज	500			
4	ए-3 साईज	1 लाख			
5	ए-4 साईज	10 लाख			
6	फुल स्केप (Legal)	40 हजार			
7	ए-4 से ए-3 में इनलार्जमेंट	1000			
8	ए-3 साईज का रिडक्शन ए-4 में	1500			
9	स्पाइरल बाइंडिंग, ए-4 साईज / फुल स्केप (Legal)	6000			
10	स्पाइरल बाइंडिंग, ए-3 साईज	500			
कुल राशि रूपये (1-10)					

नोट :-

1. फोटो कापी पेपर [जे.के. कॉपियर (RED) 75 जी.एस.एम. या कॉपी पावर BILT 75 जी.एस.एम.] का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
2. कन्ज्यूमेविल सामग्री, जैसे कागज, टोनर, डेवलपर आदि एवं संधारण व्यय निविदाकार द्वारा ही वहन किया जावेगा ।
3. निविदाकार की मशीन का संधारण निविदाकार को अधिकृत इंजीनियर/ टेक्नीशियन द्वारा स्वयं के व्यय से करना होगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

फर्म का नाम

दूरभाष/मोबाईल नं.

**म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल में
फोटोकापी व स्पाइरल बाइंडिंग का कार्य करने हेतु निविदा प्रपत्र**

प्रति,

प्रबंध संचालक,

म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.

16-A, अरेरा हिल्स, भोपाल.

**विषय :- निगम कार्यालय में फोटोकापी कार्य हेतु मशीन लगाने व
स्पाइरल बाइंडिंग करने बाबत ।**

महोदय,

हम/मैं अपनी दरें संलग्न शेड्यूल में भर रहे हैं / भर रहा हूँ । हमने/मैंने
म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रदाय निविदा में उल्लेखित
समस्त शर्तों एवं नियमों को भली भांति अध्ययन कर लिया एवं समझ लिया है ।

हम/ मैं इन शर्तों एवं नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने के लिए बाध्य
रहेंगे/रहूँगा ।

1. निर्धारित रुपये (शब्दों में)
की अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक कमांक दिनांकबैंक
का नाम व पता
..... संलग्न है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम

फर्म का नाम

दूरभाष/मोबाईल नं.

रजिस्ट्रेशन नं.

म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल

:: अनुबंध-पत्र ::

अनुबंध क्रमांक जो आज दिनांक/01/2012 को मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ("MPRDC"), जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय 16-A, अरेरा हिल्स, भोपाल में स्थित है, जो प्रथम पक्ष के नाम से जाना जाएगा तथा मेसर्स ; जो द्वितीय पक्ष के नाम से जाना जाएगा, के मध्य निगम कार्यालय में फोटोकॉपी एवं स्पायरल बाइंडिंग के कार्य हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया :-

1. स्वीकृत निविदा की कार्य अवधि कार्यदिश की तिथि से **दो वर्षों** के लिये होगी।
2. कार्यालय द्वारा समय-समय पर फोटोकॉपी का जो कार्य सौंपा जावेगा उसे दिये गये निर्देशों के अनुसार समय सीमा के अंदर पूर्ण करना होगा।
3. फोटोकॉपी के सेट बनाने का कार्य संबंधित फर्म को करना होगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
4. फोटोकॉपी कार्य के लिये आवश्यक डिजीटल फोटोकॉपी मशीन {ब्राण्ड न्यू}, पेपर {जे.के. कॉपियर (RED) 75 जी.एस.एम. या कॉपी पावर BILT 75 जी.एस.एम.}, टोनर, डेवलपर एवं स्टेबलाइजर आदि की व्यवस्था संबंधित फर्म को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
5. फोटोकॉपी कार्य पर होने वाला सभी प्रकार का व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा।
6. कार्यालय में स्थापित की जाने वाली डिजीटल फोटोकॉपी मशीन एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
7. कार्यालय में स्थापित फोटोकॉपी मशीन में ए-3 आकार तक फोटोकॉपी कार्य तथा इनलार्जमेंट/रिडक्शन की सुविधा होनी चाहिये।
8. संबंधित फर्म द्वारा जिस ऑपरेटर की सेवायें फोटोकॉपी कार्य के संपादन करने हेतु उपलब्ध कराई जावेगी उसे फोटोकॉपी करने का पर्याप्त अनुभव के साथ ही फोटोकॉपी मशीन की छोटी-मोटी मरम्मत का कार्य भी आना आवश्यक होगा।
9. फोटोकॉपी मशीन स्थापित करने हेतु स्थान एवं विद्युत की व्यवस्था कार्यालय द्वारा कराई जावेगी जिसका कोई भुगतान नहीं लिया जावेगा।
10. फोटोकॉपी मशीन की खराबी की स्थिति में संबंधित फर्म को खराब मशीन तत्काल दुरुस्त करवाना होगा तथा कार्य में व्यवधान न हो इसे सुनिश्चित करना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे के अंदर दूसरी अच्छी मशीन की व्यवस्था करना होगी।
11. कार्यालय द्वारा जो फोटोकॉपी कार्य सौंपा जायेगा वह कार्यालय परिसर में ही करना होगा और जो शासकीय अभिलेख फोटोकॉपी हेतु दिये जायेंगे उसकी गोपनीयता बनाये रखने का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। इसका उल्लंघन करने पर पेनल्टी लगाने एवं अनुबंध समाप्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। यथा शासकीय गोपनीयता भंग करने के कारण दंडित करने हेतु दांडिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. आवश्यकता पड़ने पर शासकीय अवकाश के दिनों में तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त भी कार्य करने हेतु आवश्यक व्यवस्था संबंधित फर्म को करनी होगी जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

13. फर्म को न्यूनतम 60 सीपीएम वाली हैवी ड्यूटी वाली डिजीटल फोटोकॉपी मशीन जिसकी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो सके, पर ऑपरेटर की सेवार्यें प्रातः 10.00 बजे से 6.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में उपलब्ध करानी होगी। कंडिका 12 इसमें अपवाद रहेगी।
14. अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकार द्वारा ही संपन्न किया जावेगा, उसे यह कार्य Sublet अथवा किसी अन्य को Assign करने का अधिकार नहीं होगा।
15. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त फोटोकॉपी मशीन, स्पायरल बाईंडिंग मशीन एवं ऑपरेटर/कर्मचारी की सुविधा कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
16. **टर्मिनेशन**
निविदा नियम एवं शर्त की प्रत्येक कंडिका में उल्लेखित प्रक्रिया का शब्दशः पालन करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा एवं उसका उल्लंघन करने पर उक्त कार्यवाही निविदा शर्तों का उल्लंघन (Breach of Contract) करना मानते हुए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल को होगा। इस परिस्थिति में निविदाकार की उपलब्ध सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी।
17. **विवाद की स्थिति :-**
1. किसी भी विवाद की स्थिति में म.प्र. रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध संचालक द्वारा नियुक्त आरबिट्रेटर का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।
 2. उक्त निविदा के तहत अनुबंध चूंकि भोपाल में होगा, अतः किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र भोपाल सीमित होगा।
18. Schedule में भरी गई दरें इस अनुबंध का भाग समझी जावेंगी व उन्हीं दरों के अनुसार ही भुगतान की गणना की जावेगी।

यह कि उपरोक्तानुसार शर्तों क्र. 1 से 18 तक) के अधीन यह अनुबंध आज दिनांक को दोनों पक्षकारों के मध्य गवाहों के समक्ष निष्पादित हुआ ताकि सनद रहे एवं समय पर काम आवे।

<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (.....) उप महाप्रबंधक (Procurement) मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.</p>	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स</p> <p>{ }</p>
---	--

गवाह :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. हस्ताक्षर | 2. हस्ताक्षर |
| नाम व पता | नाम व पता |